फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत **उप खण्ड अधिकारी** मुकाम **सूरजगढ़**

ओमप्रकाश बनाम रामजीलाल वगै0

किस्म मुकदमा धारा **प्रार्थना पत्र 212** मुकदमा न0 ..53....../**2023**

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**	**नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए**
20.04.2023	प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए श्री संदीप मान अधिवक्ता के द्वारा पेश किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का मामला बनता है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जाता है कि मौजा ग्राम सेही कलां तहसील सुरजगढ़ के हाल ख0न0 731/88 रकबा 0.32 है0, हाल ख0न0 86 रकबा 0.40 है0, हाल ख0न0 87 रकबा 0.10 है0, हाल ख0न0 89 रकबा 0.72 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.54 हैक्ट0 कृषि भूमि को रहन बैय न करे व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें व प्रार्थी के हिस्से का बेचान न करे। बैंक ऋण (RODA ACT) पर उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा केवल आगामी तारीख पेशी तक ही लागू होगी। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हो। आगामी तारीख पेशी पर अप्रार्थीगण को तलबी हेतु रजिस्टर्ड एवं सामान्य नोटिस प्रस्तुत नहीं करने तथा प्रार्थी प्रतिनिधि अपस्थित नहीं होने पर अस्थाई निशेधाज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी। आदेश 39 नियम 1 व 2 की पालना सुनिश्चित हो। इस बाबत कोई उज्र एतराज हो तो अप्रार्थीगण असालतन या वकालतन हाजिर होकर जबाब प्रार्थना पत्र पेश करे कि क्यों न प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अस्थाई व्यादेश ताफैसला बाद कन्फर्म करे कि क्यों न प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अस्थाई व्यादेश ताफैसला वाद कन्फर्म कर दिया जावे तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगण को तलबी हेतु रजिस्टर्ड एवं व सामान्य नोटिस भिजवाया जाकर तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 29.05.2023 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़	
20/5/23	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 में पेश हुई । पक्षकारान में ... 11/8/23 को पेश हो । न्यायालय में पेश हो	

11/8/23 वकील पक्षकारान उपस्थित / पीठासीन अधिकारी अवकाश / भ्रमण / अन्य कार्य पर है। मिसल आमन्दा दिनाक दिनाक 21/8/23 को पेश हो।

रीडर

उत्तरदाता/ प्रार्थी 1,3,4 कि ओर से जवाब ज्ञापन पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया

21/8/23 वकील पक्षकारान उपस्थित / पीठासीन अधिकारी अवकाश / भ्रमण / अन्य कार्य पर है। मिसल आमन्दा दिनाक दिनाक 15/9/23 को पेश हो।

रीडर

15/9/23 वकील पक्षकारान उपस्थित / पीठासीन अधिकारी अवकाश / भ्रमण / अन्य कार्य पर है। मिसल आमन्दा दिनाक दिनाक 3/10/23 को पेश हो।

रीडर

3/10/23 वकील पक्षकारान उपस्थित / पीठासीन अधिकारी अवकाश / भ्रमण / अन्य कार्य पर है। मिसल आमन्दा दिनाक दिनाक 5/10/23 को पेश हो।

रीडर

5-10-23 आज यह पत्रावली पेश हुई/ मूल दावा और उस मे खारीज किया जा चुका है अतः ज्ञापन पत्र का आगे चलने का कोई औचित्य नही है अतः ज्ञापन पत्र और उस मे खारीज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं मूल दावा के साथ में रहे।

उपखण्ड अधिकारी सूरसागर